

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021

तारीख रजू 17.02.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

.....प्रार्थी

बनाम

1. लड्डूलाल पुत्र हरदेवा जाति गाडिया लूहार निवासी ग्राम छाण तहसील खण्डार

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक...11/11/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी लड्डूलाल पुत्र हरदेवा जाति गाडिया लूहार निवासी ग्राम छाण तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 182/46 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता में आदेश दिनांक 24/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 182/46 रकबा 5.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक 215-216 दिनांक 01/03/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण लड्डूलाल पुत्र हरदेवा जाति गाडिया लूहार निवासी ग्राम छाण तहसील खण्डार की ओर से श्री सी०एस० लोदवाल एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अप्रार्थी को काफी मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी ना तो स्वयं और ना ही जरिये वकील पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को पर्याप्त मौके प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 20/10/2022 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेशी सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 182/46 रकबा 5.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074-77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण लड्डूलाल पुत्र हरदेवा जाति गाडिया लूहार निवासी ग्राम छाण तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 182/46 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुरा की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074-77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 182/46 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गण्डायता के आराजी खसरा नम्बर 182/46 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 11/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

65
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर